B- 34
L- 33
I. Polity

संसदीय विशेषाधिकार और नागरिकों के अधिकार

नागरिकों के अधिकार

(A) अनुच्छेद 19(1) ए

(B) जीवन का अधिकार

संसदीय विशेषाधिकार

सांसदों एवं विधायकों

अनुच्छेद 105/194

(i) सदन के भीतर, किसी कार्यवाही को प्रकाशित करने से रोका जा सकता है।

(ii) विशेषाधिकार के उल्लंघन के आरोप में दण्डित किया जाता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

- भारत में संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है अपितु परम्परा के अनुसार सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है जबकि भारत में संविधान लिखित है जहाँ संसदीय शासन के साथ मूल अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है इसीलिए विशेषाधिकार और नागरिकों के मूल अधिकार के बीच संघर्ष भी स्वभाविक है।
- संसद का तर्क है कि विशेषाधिकारों का अन्तिम निर्धारण संसद ही करेगी क्योंकि संविधान शक्ति पृथक्करण पर आधारित है।
- न्यायालय का कहना है कि भारत में संसदीय शासन है संसदीय सर्वोच्चता का

सिद्धांत नही है और यदि संसद को अनुच्छेद 105/194 से विशेषाधिकार प्राप्त है तो न्यायालय को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया गया है इसलिए संसद न्यायालय की शक्ति को सीमित नही कर सकती।

- केशव सिंह वाद में (1964) न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि न्यायालय का मूल कार्य मूल अधिकारों की रक्षा है जिसे संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर समाप्त नही किया जा सकता।
- नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संसदीय विशेषाधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में संसदीय विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- विशेषाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में पीठासीन अधिकारी किसी व्यक्ति को दण्डित कर सकता है लेकिन न्यायालय यह अवश्य जांच करेगा कि व्यक्ति को दिया गया दण्ड मनमानी और अतार्किक नही है।
- न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद विशेषाधिकारों पर विवाद बना हुआ है क्योंकि विशेषाधिकारों का हनन तभी माना जाएगा जब सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न किया जाए और विशेषाधिकारों के नाम पर संसद

और सदन की आलोचना को हतोत्साहित करना उचित नहीं है।

सदन की अवमानना — सदन के विशेषाधिकार

विशेषाधिकार और भ्रष्टाचार :-

- वर्ष 2024 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 1998 में दिये गए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए कहा कि सदन में घूस देना विशेषाधिकार के नाम पर संरक्षित नहीं हो सकता।
- सदन में घूस लेकर मत देना एक आपराधिक कार्य माना जाएगा जिसके आरोप में किसी सांसद या विधायक पर न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है।

विशेषाधिकारों का संहिताकरण :-

- भारत में विशेषाधिकारों को आजतक संहिताबद्ध या लिपिबद्ध नहीं किया गया है जबकि वेंकट चलैया आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि विशेषाधिकारों का लिखित स्वरूप होना चाहिए क्योंकि विशेषाधिकारों के निर्धारण की अन्तिम शक्ति संसद के पास है जिस पर विवाद होना स्वभाविक है। संसद आज भी विशेषाधिकारों को लिपिबद्ध

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

नही कर रही है जिसके निम्नलिखित कारण हैं-

(i) शक्ति पृथक्करण के अनुसार विशेषाधिकारों का निर्धारण केवल संसद ही कर सकती है।

(ii) विशेषाधिकार समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं जिसे हमेशा के लिए लिपिबद्ध करना संभव नही है।

(iii) न्यायालय के किसी भी निर्णय को संसद मानने के लिए तैयार नही है क्योंकि विशेषाधिकारों के निर्धारण में न्यायालय की कोई भूमिका नही है।

- विशेषाधिकारों को न लिखने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जब विशेषाधिकारों का लिखित रूप उपलब्ध होगा तब विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में विवाद निर्धारण की शक्ति न्यायालय के पास होगी।
- विशेषाधिकार को संहिताबद्ध करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जा सकते है-

(i) अनुच्छेद 105/194 में संशोधन।

(ii) आचार समिति के द्वारा विशेषाधिकारों का संहिता बद्ध करना।

निष्कर्ष:- भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए संविधान के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को संरक्षण दिया है लेकिन इन संरक्षण का दुरुपयोग संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

प्रस्ताव और संकल्प

- प्रस्ताव (Motion)
- संकल्प (Rusolution)

- प्रस्ताव और संकल्प का उल्लेख्य संविधान में नहीं किया गया है अपितु यह लोकसभा नियमों में उल्लेखित है इसके अनुसार प्रस्ताव सदन की कार्यवाही को संचालित करने की एक पद्धति है प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-

(i) मूल प्रस्ताव
(ii) अधीनस्थ प्रस्ताव
(iii) प्रतिस्थापन प्रस्ताव

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- सदन में प्रस्तुत किसी विधेयक को मूल प्रस्ताव कहा जा सकता है
- सदन के द्वारा उस विधेयक को संसदीय समितियों को सौंपना अनुपूरक या अधीनस्थ प्रस्ताव कहा जा सकता है।
- एक प्रस्तावों के स्थान पर सदन में सार्वजनिक मुद्दों के तात्कालिक विषय पर निम्नलिखित प्रस्ताव लाये जा सकते हैं-

(i) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(ii) अल्पकालिक चर्चा प्रस्ताव
(iii) स्थगन प्रस्ताव

- सरकार सामान्यतः अपने विरूद्ध स्थगन प्रस्ताव नही देखना चाहती इसीलिए स्थगन प्रस्ताव के स्थान पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना प्रतिस्थापन प्रस्ताव है।
- मूल प्रस्तावों को ही संकल्प कहा जाता है।

संकल्प क्या है?

- संविधान में प्रस्ताव का उल्लेख नही है लेकिन संकल्प का उल्लेख है।

क्योंकि पहले प्रकार का संकल्प संवैधानिक ही होता है उदाहरण के लिए यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे कि भारत में नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण होना चाहिए तो संसद इस संबंध में विधि का निर्माण कर सकती है (अनुच्छेद 312)

(i) संवैधानिक
(ii) सरकारी
(iii) निजी

- वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत करना सरकारी संकल्प है
- किसी सांसद के द्वारा निजी विधेयक प्रस्तुत करना ही निजी संकल्प कहलाता है
- प्रस्ताव और संकल्प के माध्यम से ही सदन की कार्यवाही का संचालन होता है जिसके द्वारा सरकार सदन से बजट और विधेयकों

KGS IAS

पर अनुमति लेती है जबकि विपक्षी दल सरकार को जवाबदेह बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

Basic facts

- संसद → सत्र → तीन → लोकसभा का नियम
- सत्र को आहूत करना → राष्ट्रपति
- (i) स्थगन → स्पीकर
  (ii) अनिश्चितकालीन स्थगन → स्पीकर
- लोकसभा का विघटन – नोटिस, प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक

सत्रावसान

(i) नोटिस समाप्त
(ii) प्रस्ताव समाप्त
(iii) संकल्प समाप्त
(iv) विधेयक समाप्त नहीं होगा।

लोकसभा का विघटन

(i) विधेयक लोकसभा मे प्रस्तुत, लंबित समाप्त होगा
(ii) राज्यसभा में प्रस्तुत, राज्यसभा से पारित लोकसभा में लम्बित समाप्त
(iii) लोकसभा मे प्रस्तुत एवं पारित, राज्यसभा में लम्बित समाप्त होगा

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR